

ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 (एएमपी 2047) की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने 17 जुलाई 2025 को 'ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047' (AMP 2047) की शुरुआत की। यह योजना 'विकसित भारत @2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप है और देश को 2047 तक वैश्विक ऑटोमोटिव क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखती है।

मंत्रालय

इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

AMP 2047 का उद्देश्य

- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में प्रमुख स्थान दिलाना।
- **नवाचार और स्थिरता:** इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), हाइड्रोजन मोबिलिटी, और स्मार्ट निर्माण जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- **निर्यात संवर्धन:** वैश्विक बाजारों में भारतीय ऑटो उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाना।
- **स्थायी उत्पादन:** कम उत्सर्जन वाली और ऊर्जा-कुशल निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाना।

चरणबद्ध लक्ष्य

- AMP 2047 के तहत तीन प्रमुख समयसीमा निर्धारित की गई हैं: 2030, 2037, और 2047। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सात उप-समितियाँ गठित की गई हैं, जिनमें सरकारी, औद्योगिक और शैक्षणिक विशेषज्ञ शामिल हैं। ये समितियाँ रणनीतियाँ तैयार करेंगी और एक शीर्ष समिति को प्रस्तुत करेंगी।



प्रमुख ध्यान केंद्र

इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन मोबिलिटी: स्वच्छ और ऊर्जा-कुशल परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना।

चार्जिंग और ईंधन अवसंरचना: EVs के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विकास।

निर्यात और वैश्विक एकीकरण: भारतीय ऑटोमोटिव उत्पादों की वैश्विक बाजारों में उपस्थिति बढ़ाना।

नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र: स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों और पारंपरिक निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

सहयोग और कार्यान्वयन

इस योजना के निर्माण में विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग निकायों जैसे SIAM, ACMA, CII, FICCI, और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी है। यह एक समग्र और रणनीतिक रोडमैप के रूप में कार्य करेगा, जो भारत को एक आत्मनिर्भर और भविष्य-तैयार ऑटोमोटिव पारिस्थितिकी तंत्र की ओर अग्रसर करेगा।

निष्कर्षतः

इस योजना के जरिए सरकार भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए एक व्यापक और समग्र रणनीतिक रोडमैप तैयार कर रही है, जो देश को 2047 तक वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख ऑटोमोटिव राष्ट्र बनाने में मदद करेगा।

UPSC Practice MCQ

Q. ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 (AMP 2047) को शुरू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?

- a) भारी उद्योग मंत्रालय
- b) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- c) वित्त मंत्रालय
- d) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

